नियम 61 के अन्तर्गत श्री राम लाल ठाकुर (नैना देवीजी) द्वारा उठाया गया मामलाः

नियम–61 के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्याः 550 दिनांक 23–08–2018 के संदर्भ में दिए गए उत्तर से उठे मुद्दों पर श्री राम लाल ठाकुर विधायक (श्री नैना देवीजी) द्वारा मागीं गई सूचना के सम्बन्ध में :–

अध्यक्ष महोदय वस्तुस्थिति इस प्रकार से है :–

1 स्वाहण कटरियड पगवाणां सड़क की कुल प्रस्तावित लम्बाई 6.930 कि0मी0 है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति व वित्तीय अनुमोदन नाबार्ड योजना के अर्न्तगत दिनांक 26.11.2009 को मु0 200.21 लाख रूपये की प्राप्त हुई थी।

2 इस सड़क मे 4.375 कि0मी0 सरकारी/वन भूमि एंव 2.555 कि0मी0 निजी भूमि आती है निजि भूमि के NOC विभाग के पास वर्ष 2009 में प्राप्त हो गए थे।

3 इस सड़क का कार्य श्री गीता राम सुभाष चन्द ठेकेदार को खुली निविदाओं के माध्यम से दिनांक 26.11.2010 को मु0 94.05 लाख रूपये मे विभाग द्वारा आबंटित किया गया था।

4 ठेकेदार द्वारा दिनांक 13.12.2012 तक किए गए कार्य का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0स0	कार्य का विवरण	कार्य का प्रावधान	किए गए कार्य की प्रगति
1	Formation Cutting	6.930 कि0मी0	6.875 कि0मी0
2	C.D. Work	6.930 कि0मी0	2.00 कि0मी0
3	Drain	6.930 कि0मी0	————

इस सड़क की प्रस्तावित लम्बाई 6.930 कि0मी0 है जिसमें से 6.875 कि0मी0 लम्बाई मे ठेकेदार द्वारा मिटटी कटान का 89737.74 घन मी0 एवं रिटेनिंग वाल में सीमेंन्ट कंकरीट का 1288.26 घन मी0 कार्य किया गया है। जिस पर मु0 59.66 लाख रू0 खर्चा हुआ है। इस कार्य में 20 न0 पाइप पुलिया और 8 न0 स्लैव पुलिया डीपीआर के अनुसार प्रस्तावित थी। जिसमें से 11 न0 पाइप पुलिया का कार्य किया गया है जिसमें 111.91 घन मी0, कंकरीट सीमेंन्ट तथा 67.05 रनिंग मीटर हयूम पाईप का कार्य ठेकेदार द्वारा मौके पर किया गया है जिस पर मु0 10.65 लाख रू0 खर्चा हुआ

है। जिसे विभाग के नियमानुसार एमबी में रिकार्ड एंव मौके पर टैस्ट चैक किया गया है, इस कार्य के लिए ठेकेदार को कुल 70.31 लाख रू की अदायगी की गई है। वन विभाग की स्वीकृति न होने के कारण यह कार्य 13.12.2012 को वन विभाग द्वारा रूकवा दिया गया था । इस कारण बचा हुआ कार्य नही हो सका।

5 उपरोक्त कार्य बन्द होने के उपरान्त एंव माननीय उच्च न्यायलय हि0प्र0 मे दायर **CWP** 5600/2012 के सन्दर्भ मे दिनांक 5 सितम्बर, 2013 के आदेशानुसार अधिसाशी अभियन्ता द्वारा वन विभाग की स्वीकृति हेतू वन मामला दिनांक 21.11.2014 को On Line जमा कर दिया गया इसके बाद दिनांक 09.05.2016 को DFO बिलासपुर को इस मामले की Hard Copy उनके पत्र दिनांक 29.09.2015 के सन्दर्भ मे भेजी गई। इस सड़क की Joint Inspection 23.06.2015 को की गई। यह मामला Nodal Officer शिमला द्वारा CCF (RO) देहरादून को दिनांक 21.12.2017 को भेज दिया गया।

6 CCF (RO) देहरादून द्वारा यह मामला कुछ आपत्तियों सहित दिनांक 25.01.2018 को Nodal Officer शिमला को वापिस भेजा।

Nodal Officer शिमला ने दिनांक 03.07.2018 को उपरोक्त मामला C.F Bilaspur को पांच आपत्तियों को पूरा करने के लिए मामला वापिस भेजा।

7 उपरोक्त त्रुटियों को पूर्ण करने के बाद अधिसाशी अभियन्ता बिलासपुर मण्डल न0 द्वितिय द्वारा दिनांक 17.07.2018 को DFO बिलासपुर को पुनः भेज दिया गया। तथा DFO बिलासपुर द्वारा उपरोक्त मामला हाल ही में Nodal Officer शिमला को भेज दिया गया है।

8 इस सड़क को माननीय विधायक द्वारा वर्ष 2018–19 की विधायक प्राथमिता में भी डाला गया है।

विभाग ने अपने स्तर पर यथासम्भव कार्यवाही की है तथा FCA प्रक्रिया पूर्ण करने को विभाग प्रयासरत है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि माननीय विघायक द्वारा अनियमिताओं व घोटाले का आरोप बेबूनियाद एवं तथ्यों से परे है।